मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, पटना–800002
E-Mail-cewrdanisabadpatna@gmail.com मो0 नं0–7463889513

पत्रांक–2 / मु0अ0–02–06 / 2022(पार्ट–I) 4332 पटना / दिनांक– 07.11.26

प्रेषक,

ई0 एजाज कलीम
मुख्य अभियन्ता ।

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय,
पटना।

विषय :– पटना जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट कलस्टर संख्या–12 (पटना सोन बालूघाट–15) का संचालन के लिए सोन नदी पर अवस्थित सैदाबाद–मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि0दू0–25) को एक तरफ से दूसरे तरफ रास्ता बनाने एवं आर–पार करने हेतु अनुमति / अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–बाढ़(मो0)सिं0–66 / 2015–अंश–II–4091 दिनांक–05.11.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त विभागीय निदेश तथा आपके पत्रांक–1016 / एम0, पटना दिनांक–30.04.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में पटना जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट कलस्टर संख्या–12 (पटना सोन बालूघाट–15) का संचालन के लिए सोन नदी पर अवस्थित सैदाबाद–मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि0दू0–25) को एक तरफ से दूसरे तरफ रास्ता बनाने एवं आर–पार करने हेतु अनुमति / अनापत्ति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है, जिससे की नदी के जलप्रवाह / तटबंधों / संरचनाओं / Morphological Behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

1. बालू परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को तिरपाल से ढका हुआ होना चाहिए, ताकि बालू के कारण वायु प्रदूषण न हो ।
2. सोन नदी के दाँये किनारे से नदी भाग में ई०सी० एरिया में बनने वाले मिट्टी के बांध की ऊचाँई 01 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक 30 मीटर के उपरांत 01 मीटर व्यास एवं 03 मीटर लंबा ह्यूम पाईप लगाया जाना आवश्यक होगा ।
3. सैदाबाद–मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि०दू0–25) को आर–पार करने के लिए बनाये गए मिट्टी के पथ में प्रत्येक 01 कि०मी० पर ह्यूम पाइप लगाना अनिवार्य होगा । साथ ही ह्यूम पाइप के उपर कम से कम 01 मी0 की ऊँचाई में मिट्टी की भराई किया जाना आवश्यक होगा। इस पथ पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले बालू पर नियंत्रण रखा जा सके ।
4. सैदाबाद–मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि०दू0–25) के दोनों ओर बैरियर लगाना आवश्यक है, जिसका खर्च संबंधित विभाग को वहन करना होगा। यह बैरियर विभागीय माप दंड के अनुरूप होगा।
5. वाहन तटबंध के लंबवत आर–पार करेंगे। निर्दिष्ट बिंदू को छोड़कर तटबंध पर किसी भी हालत में बालू परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का परिचालन मान्य नहीं होगा ।

6. सैदाबाद–मनेर तटबंध के कि०मी० 7.62 (वि०दू0–25) को वाहनों के आर–पार करने से उत्प क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति का खर्च संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।
7. बाढ़ अवधि में बालू परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा ।
8. सड़क निर्माण एवं इस पर परिचालन को पूर्ण जवाबदेही सबधित विभाग की होगी। इस पर किसी भी तरह की क्षति की जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी ।
9. अस्थाई संरचना के निर्माण से नदी के बहाव में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा एवं इसे अविरल रखा जाय।
10. कार्य के समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय ।
11. नदी से बालू की कटाई जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा निर्धारित तल लेवल (1.50M) से अधिक गहरे तक नहीं किया जाय तथा NSL एवं किनारों को किसी भी हाल में Disturb नहीं किया जाय ।
12. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।
13. विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी समय बिना कारण बताए, विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
14. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से सम्पोषण की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
15. बाढ़ अवधि के पूर्व संरचनाओं को संबंधित विभाग के द्वारा स्वयं के व्यय पर नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
16. नदी तट किसी भी भाग पर आवेदक का स्वामित्व नहीं होगा ।
17. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा ।
18. संरचनाएँ बिल्कुल अस्थायी एवं निजी प्रयोग के लिए है, इसलिए इसकी स्थायित्व एवं मजबुती की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
19. संबंधित विभाग द्वारा इस अस्थायी संरचना के दोनों ओर एक–एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि "अस्थायी संरचना आम लोगों के लिए वर्जित है।"
20. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
21. किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित विभाग जिम्मेवार होगा ।
22. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थाई निर्माण को संबंधित विभाग को अपने व्यय पर हटाना होगा ।
23. संरचना निर्माण के दौरान नदी में बनी संरचनाओं आदि में किसी प्रकार की क्षति न हो। क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही संबंधित विभाग की होगी एवं संबंधित विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा ।
24. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र को रद्द करते हुए विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
25. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/161/2023–205 दिनांक–20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
26. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 31.05.2027 तक प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः– 4332 पटना/दिनांकः– 07·11·26

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः– 4332 पटना/दिनांकः– 07·11·26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक– 4332 दिनांक– 07·11·26

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता